न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री श्याम सुंदर चेतीवाल आर ए एस

1. श्री मोहन पुत्र श्री मंगल जाति जाटव निवासी ग्राम दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर (राज0)।

--------सायल

बनाम

1. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)।

----- गैरसायल

प्रार्थना–पत्र 136 एल आर एक्ट 1956

आदेश दिनांक :– 08.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने अपना प्रार्थना–पत्र पेश कर बताया कि आराजी खसरा संख्या 1463, 1464, 1480, 1481 रकबा 1.16 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम महेन पुत्र श्री मंगल जाति जाटव दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहन पुत्र श्री मंगल जाति जाटव है। प्रार्थी ने अपने नाम को शुद्ध करवाने हेतु अपने नाम महेन के स्थान पर मोहन दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थना पत्र के साथ में प्रार्थी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड, पेश किया है। प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का व तहसीलदार कठूमर की रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम महेन के स्थान पर मोहन दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

हमने प्रार्थना पत्र के तथ्यों, सायल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं तहसीलदार कठूमर द्वारा की गई अनुशंषा का अवलोन किया। सायल के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत दांतिया की रिपोर्ट, स्वयं का आधार कार्ड से आराजी ख. नं. 1463, 1464, 1480, 1481 रकबा 1.16 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में महेन पुत्र श्री मंगल के स्थान पर मोहन पुत्र श्री मंगल जाति जाटव दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1463, 1464, 1480, 1481 रकबा 1.16 हैक्टे0 वाके ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में महेन पुत्र श्री मंगल के स्थान पर मोहन पुत्र श्री मंगल जाति जाटव दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते हैं एवं उक्तानुसार जमाबंदी में संशोधित इन्द्राज करें। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्याम सुंदर चेतीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०